

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना जिला बालोतरा

प्रकरण संख्या:-

GCMS NO:- 2025/828

-:: आदेश ::-

प्रार्थी/प्रार्थीगण के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी पादरु व भूअ.नि. पादरु की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा आधार कार्ड, सरपेच इटवाथा का प्रमाण पत्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट व तहसीलदार सिवाना/समदड़ी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत निम्नानुसार शुद्धि की जाकर तदनुसार तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने के आदेश दिये जाते हैं:-

क्र.सं	ग्राम	खसरा संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अषुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (षुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
01	इटवाथा	559, 560, 561, 696, 657, 680, 683, 684 700.	जेठा पुत्र गणेश मसरिया पुत्र गणेश लखिया पुत्र गणेश कौम भौमी	जेठा राम पुत्र गुणेश राम, मसर राम पुत्र गुणेश राम, लखमुराम पुत्र गुणेश राम कौम मेधवाल

(सुरेन्द्र सिंह खंगारोत)
उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बालोतरा)

कमांक- /राजस्व/ ग्रा.से.शिविर/ 2025 / 69

दिनांक:- 25/10/25

प्रतिलिपि -

1. तहसीलदार सिवाना/समदड़ी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी/प्रार्थीगण जेठा राम पुत्र गुणेश राम कौरव जाति मेधवाल निवासी इटवाथा तहसील सिवाना/समदड़ी जिला बालोतरा
3. रक्षित पत्रावाली।

